The reply given to parts (a) and (b) of the Unstarred Question No. 5085 on 28th March, 1974 was based on information furnished by the Central Sales Organisation of Hindustan Steel, Calcutta. Since it was stated by thre Sales Organisation at that time, that it will take some time to collect the information regarding part (c) of the question, an assurance had to be given.

2. Subsequently, it came to the notice of the government that information furnished in reply to part (b) of the question related to total Sales of Rourkela Scrap made both by HSL's Central Sales Organisation and by the Rourkela Steel Plant Management, whereas the question sought information only respect of sale of scrap made by Rourkela Steel Plant Management. It was, therefore, considered appropriate that the information in respect of Rourkela Steel Plant alone should be given in answer to the question. Hence the answer to parts (a) and (b) of the question is being corrected

3. Information regarding part (c) of the question has also since been received and the opportunity is being availed of to fulfil the assurance with regard to part (c) of the question by furnishing this information

---

13 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI L. N. MISHRA

IMPORT LICENCE CASE—*contd.*

अध्यक्ष महोदय वाजपेयी जी जो आप ने मुझे लिखा है उस तक आप अपने आपको कनफाइन रखना।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) पत्र लिखने के बाद श्री मिश्र ने बयान दिया है। वह सदन के सामने है। उस पर आपको फैसला करना है।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं कर दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस बयान के लिए हम अलग से विशेषाधिकार प्रस्ताव दें इससे अच्छा है कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा सुन लें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय नया विशेषाधिकार होगा तो वह बाद में देखा जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नई बात नहीं कहूंगा। जो भी बातें हैं वे पुरानी से जुड़ी हैं। हो सकता है कि वे नई मालूम हों लेकिन वे हैं पुरानी।

अध्यक्ष महोदय पुरानी तक ही अपने को सीमित रखें।

Nothing new, because that must relate to the original motion; nothing new to be introduced.

SHRI PILOO MODY (Godhra): Is he to sign an affidavit about what he has to say?

MR. SPEAKER: Why are you offering your comments? I do not want them. Let him speak; there is his running commentary, like cricket commentary throughout the day.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था। आपने श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध हमारे विशेषाधिकार के प्रस्तावों पर अपने निर्णय को आज तक के लिए स्थगित रखा है और मुझे इस पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मैंने सदन में यह कभी नहीं कहा कि श्री ललित नारायण मिश्र ने लाइसेंस देने के आदेश दिये हैं। हमारा अभियोग यह रहा है कि श्री मिश्र ने लाइसेंस देने के मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाई और विदेश व्यापार

मंत्रालय छोड़ने से पहले वह इस बात का इतजाम कर गये कि इन कुख्यात फर्मों को लाइसेंस दे दिये जाये। 9 सितम्बर 1974 को जो कुछ मैंने कहा था वह इस प्रकार है। मैं उद्धृत कर रहा हू

"श्री मिश्र ने कहा कि इन फर्मों को उनके मंत्रित्वकाल मे लाइसेंस नही दिये गये लेकिन उन्होंने माना कि आवेदन मिला। लेकिन यह नही बताया कि कैसे मिला ? डाक स मिला या हाथ मे मिला ?

मेरी जानकारी के अनुसार आवेदन श्री ललित नारायण मिश्र के निदेश पर तैयार हुआ।

श्री ललित नारायण मिश्र गलत बात है। एक दम गलत बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जानकारी थी कि उस आवेदन पत्र मे कितने हस्ताक्षर सही कितने जाली हैं। मंत्रालय छोडने से पहल उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर लिया जिससे इन फर्मों को लाइसेंस द दिया जाये।"

बड़े ताज्जुब की बात है कि जब आरोप लगाया ही नही गया है जो बात कही ही नही गई है जब यह हम ने कहा ही नही कि आप ने अपने आदेश से लाइसेंस दिये तो उस पर आप ने अपने बयान मे इतना जोर क्यों दिया है। श्री मिश्र ने अपने बयान मे इस अभियोग के खडन पर ही अपनी सारी ताकत लगा दी।

उस दिन जब यह मामला उठा तो मैं उद्धृत कर रहा हू श्री ललित नारायण मिश्र के वक्तव्य के एक अश को.

"As far as I remeber, I passed on the letter to the officer conerned in the normal course of business. No order was passed by me."

मैंने कोई आदेश नही दिया। लेकिन नौ दिसम्बर को श्री ललित नारायण मिश्र ने एक जगह जो कुछ कहा है उसमे उन्होंने माना है कि उन्होंने आदेश दिया है। मै उद्धृत कर रहा हू .

"I have recorded, I remember, a note alomost three months earlier in August and that note related to the examination of the matter in the Ministry of Law of certain legal points, discrimination, etc This was for contesting in a court of law, not for helping anybody.

क्या यह आदेश नही था ? मामले को अदालत मे लडा जाये, मामले के बारे मे विधि मत्रालय की राय ली जाये, क्या मत्री महोदय का आदेश नही था . . (इंटरप्शंस) . . . मै फिर कह रहा हूं कि हमारा आरोप यह था कि श्री मिश्र मत्रालय छोडने से पहले इस बात के लिए ज़मीन तैयार कर गये कि लाइसेंस दे दिये जाये। अगर टोका-टाकी करेंगे तो आज बातें बिगड़ने वाली है। मैं शान्ति से अपनी बात कह रहा हू। मत्री महोदय को मै उद्धृत कर रहा हू। उस दिन मैंने अपने पत्र मे लिखा था कि फाइल मे मत्री महोदय ने दो आदेश दिये। एक आदेश पृष्ठ 11 पर है और दूसरा पृष्ठ 12 पर है। मत्री महोदय ने अपने नौ दिसम्बर के बयान मे दोनों आदेश जोड़ दिये है। अगर वह फाइल मगाई जाये और प्रिविलेज कमेटी उस फाइल में जाये तो यह बात साफ हो जायेगी कि आदेश एक नही था दो थे, एक पृष्ठ 11 पर था और दूसरा पृष्ठ 12 पर था। ताज्जुब की बात यह है कि 11 पृष्ठ पर जो आदेश दिया उसमें कहा गया था कि .

".....that should be contested in the court.

12 पृष्ठ पर जो आदेश दिया उसमे यह कहा गया था कि विधि मंत्रालय की राय ली जाये। श्री मिश्र ने बड़ी चतुराई से दोनो आदेश मिला दिये है। मै पूछना चाहता हू कि कोर्ट मे केस कटेस्ट किया जाये और विधि

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

मंत्रालय की राय ली जाये ये दोनों आदेश एक साथ दिये जा सकते है? अगर मंत्री महोदय ने दिमाग बना लिया था कि मामले को अदालत मे भेजा जाये तो फिर विधि मंत्रालय की राय किस बात पर ली जानी थी? अगर विधि मंत्रालय की राय लेनी थी तो राय आने तक आप रुक सकते थे और राय आने पर कोर्ट मे मामले को चुनौती दी जाये यह कह सकते थे।

मेरा आरोप इससे भी गम्भीर है। इस मामले मे विधि मंत्रालय की राय नही ली गई और अगर ली गई थी तो वह राय क्या थी? श्री ललित नारायण मिश्र इसके बारे में बिल्कुल चुप हैं। अब ये दो आदेश पृष्ठ 11 और पृष्ठ 12 पर दिये गये। क्या ये लाइसेंस काड से सम्बन्धित नही है?

एक और बडी बात है। श्री ललित नारायण मिश्र ने 9 दिसम्बर के बयान मे कहा है

> "I had recorded I remember, a note almost three months earlier in August....."

लेकिन एक और स्थान पर उन्होंने कहा यह नोट अप्रैल मे लगाया गया। यह राज्य सभा की कारवाई है। इसको आम तौर पर उद्धृत नही किया जाना चाहिए। लेकिन मामला ऐसा है कि दोनो सदनो के सामने है। श्री मिश्र ने 11-9-74 को राज्य सभा मे बयान देते हुए कहा है। मैं उद्धृत कर रहा हू

> "......I recorded in the file that legal opinion may be taken and the case contested..."

यह बात अप्रैल मे हुई या अगस्त मे? सवाल यह है कि पहला नोट अदालत मे कंटेस्ट करने के बारे मे है या विधि मंत्रालय की राय लेने के बारे मे? राज्य सभा मे कुछ कहा गया है, लोक सभा मे कुछ और कहा जा रहा है—

श्री एस० एम० बनर्जी : और सेंट्रल हाल मे कुछ और।

अध्यक्ष महोदय आपने कहा मिनिस्टर ने कहा कि मैंने आर्डर पास नही किया। लेकिन आर्डर के दो हिस्से हो सकते है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मैंने फाइनल आर्डर पास नही किया है लेकिन मैंने इंटेरिम आर्डर पास किया है? यह निर्णय कौन करेगा?

MR. SPEAKER: The simple thing is this.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): There is distinction between final order and interim order. The interim order apparently says....

MR. SPEAKER: He says he never passed any order.

SHRI VASANT SATHE (Akola): The interim order does not say anything The interim order must say something about licence. It has nothing to do with the grant of licence; there must be connection with the grant of licence. Taking legal opinion has nothing to do with the grant of licences.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री तुलमोहन राम ने 3 जनवरी, 1972 को भी एक आवेदन पत्र दिया था। श्री ललित नारायण मिश्र ने उस को अस्वीकृत कर दिया। सवाल यह है कि बाद मैं यह मामला खोला कैसे गया। यह मंत्री महोदय की इजाजत ले कर खोला गया।

चार्जशीट मे यह माना गया है कि जो फर्म अदालत में मामला ले गई— (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सच्चाई सामने आ रही है। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। चार्जशीट से यह बात

साफ है कि जिन फर्मों ने अदालत से मामला वापिस लिया, उनके वकील ने श्री ललित नारायण मिश्र को सीधी खबर दी कि मामला वापिस ले लिया गया है, काम्प्रोमाइस हो रहा है। श्री ललित नारायण मिश्र कहते है कि मै ने कहा था कि केस कोर्ट मे कनटस्ट करो। जब श्री माधूसिंह का पत्र उन को मिला, और उस के साथ केस विदड्राअल की पैटीशन भी थी, तो उन्होंने उस पत्र पर यह क्यों नहीं लिखा कि यह केस विदड्रा हुआ, क्या काम्प्रोमाइस किया है, मैंने तो कहा था कि यह केस कनटेस्ट किया जाना चाहिए, इस को वापिस कैसे ले लिया गया है ? यह उन्होंने नहीं कहा।

MR SPEAKER The question was that the Minister passed the order Did he pass the order?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैं चार्जशीट का एक हिस्सा रखना चाहता हूं

'On 23-11-1972 Shri Tul Mohan Ram after meeting Shri L N Mishra in his office told S Shri K V Nair and S M Pillai that the Minister had asked the CCI&E to examine the position and put up the case early This representation was despatched to the CCI&E on 24-11-1972 from the personal section of the Minister after an acknowledgment of its receipt was sent to Shri Tul Mohan Ram by Shri L N Misra vide his D O letter No 1438 VIP|MFT|72 dated 24-11-1972 After perusing the advice of the CCI&E in his note dated 28-8-72, the Minister had in the meantime already directed an on the spot examination of the matter at Pondicherry by S|Shri K N R Pillai and K Raman who were going to that side on some other official work The two officers went to Pondicherry in the 1st week of January, 1973."

इस से प्रकट है कि एक दिन बाद ही मामला भेज दिया गया। फिर 5 फरवरी के आदेश का हवाला है।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले मे आप को एक बात और तय करनी पड़ेगी। यह संसदीय लोकतंत्र है। इस मे अफसर जो भी काम करते है, उन की जिम्मेदारी मंत्री लेगा या नहीं लेगा ? क्या अपनी चमड़ी बचाने के लिए मंत्री कह देंगे कि 5 फरवरी का आदेश मेरा नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस है कि श्री ललित नारायण मिश्र को या प्रामाणिकता के साथ कहना चाहिए था कि 5 फरवरी का नोट मेरे आदेश पर दिया गया, या वह कहते कि नहीं दिया गया। आप उन की भाषा पढ़िये। (व्यवधान) वह आर्डर को स्वीकार नहीं कर रहे है। इस लिए वह सदन को गुमराह कर रहे है।

MR SPEAKER Is it directed by the Minister or b ythe officer?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA In whose name is the order passed and who issued the order? The gazette notification is made by the officer Your orders every day come to us through the Secretary-General

MR SPEAKER I own them

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA Please do not lay down a rule which will subvert the parliamentary democracy

MR SPEAKER The clarification will come as to where does the officer stand and where does the Minister stand ..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 9 दिसम्बर को मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा आप उस को सुनिये

"The date of the note is admitted to be 5 2 1973, the date on which I ceased to be Minister of Foreign

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

Trade. Since this note has been quoted to establish that it is in conflict with my statement before this House on August 28, 1974"

—yes, it is—

"I would like to submit that any such assumption is unwarranted and baseless."

इस का आधार क्या है ? आगे वह कहते है :

"Even taking the note as it is,...."

क्या ललित नारायण मिश्र का कहना यह है कि उन्होंने जो कुछ कहा उस के हिसाब से नोट नही है ? क्या वह सारी जिम्मेदारी अफसर पर डाल कर अपनी जान बचाना चाहते है ? ससदीय लोकतत्र मे मत्री की जिम्मेदारी है या नही ?

सी०बी०आई० ने जो जाच की है उस मे एक चैप्टर है "कन्डक्ट आफ आफिसर्ज" । इस बार मे एक अलग चैप्टर है । उस चैप्टर का अदालत से कोई सम्बन्ध नही है । आप प्रधान मत्री और गृह मत्री को उस चैप्टर को सभा-पटल पर रखने के लिए कहिये । ससदीय लोकतत्र के गम्भीर मसले इस मे जुड़े हुए है ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, you had been a Minister also and you know the relationship between officials and Ministers ...

MR. SPEAKER: I am not a life-less person; I have been sitting here and listening I can speak

SHRI PILOO MODY: I can understand Shri Stephen getting up, I can understand Shri Sathe getting up or other members getting up, but not your getting up.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, आप स्वय मंत्री रहे हैं । आप जानते है कि मत्री महोदय टेलीफोन पर आदेश देते है, मत्री महोदय बैठक मे बैठ कर चर्चा करते हैं, और फिर अफसर से कहते हैं कि जो चर्चा हुई है, उस के प्रकाश में तुम आदेश तैयार कर के लाओ । क्या यह परम्परा नही है ?।

अध्यक्ष महोदय परम्परा की बात नही है ।

You must be clear where the Minister stands and where the officers stand, whether the orders are of the officers only, or the Minister's orders, or they are denied by the Minister

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Has he denied it? (*interruptions*) He does not have the courage even to deny the order.

MR SPEAKER: We must be clear in our minds

SHRI MADHU LIMAYE (Banka): Have you made up your mind already?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी सच्चाई का फैसला तभी हो सकता है, जब प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला जाये, हम फाइल्स देखे, श्री एल० एन० मिश्र को एग्जामिन करे, और जिस आफिसर ने नोट लिखा है, उस को भी एग्जामिन करे । क्या उस आफिसर को बिना सुने हुए उस को दोषी बनाया जायेगा—केवल इस लिए कि मत्री महोदय इस सदन मे आ कर बयान दे सकते है और आफिसर मुंह नही खोल सकता है ?

ग्राम सरौनी मे विद्यालय बनाने की बात कह कर मैं खत्म कर दूगा । छोटी छोटी बातें कह कर श्री ललित नारायण मिश्र अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं । कहते है कि वाजपेयी जी ने पहले कहा कि सरौनी तुलमोहन राम का ग्राम है, फिर कहा कि मेरा ग्राम है,

और मेरे पिताजी का नाम उन्होंने ठीक नही बताया । पिताजी का नाम अगर मैंने गलत बताया था, तो मैंने दूसरे दिन उस को शुद्ध कर दिया था । उन के पूज्य पिताजी का नाम है पडित रविनदन मिश्र, ग्राम सरौनी—(व्यवधान) ग्राम सरौनी मे विद्यालय बन रहा है । (व्यवधान) सवाल यह नही है कि उस विद्यालय के लिए रुपया इकट्ठा करने की बात श्री मिश्र को मालूम है या नही । जब मैंने 9 सितम्बर को विद्यालय का मामला उठाया, तो श्री मिश्र ने कहा कि मुझे विद्यालय के बारे मे कोई जानकारी नही है । जब कि उन्हे जानकारी थी, यह जानते थे कि विद्यालय बन रहा है । फिर ये कहते है कि तुलमोहन राम ने जो कुछ कहा है उस के लिए मै जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता हू ? श्री तुलमोहन राम भी इस सदन के सदस्य है, श्री ललित नारायण मिश्र भी इस सदन के सदस्य है । दोनो सम्मानित सदस्य है । अब कौन गलत कह रहा है कौन सच कह रहा है इस का फैसला कैसे होगा ? इस का फैसला प्रिविलेज कमेटी कर सकती है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मैं इस को पूरा कर दू ।

MR SPEAKER You ask me to give a ruling Sometimes, when I am in suspense, I have got the right to ask the Member to clear a point

मुझको आपसे यह पूछना है, आपने कहा कि उनके पिता के नाम से है उसका तो कोई झगडा नही है, उनके पिता का नाम यह था, आपने कहा यह था, उसका तो कोई झगडा नही है । लेकिन बात यह है कि

How you connect it with Mr Mishra what was in the proceedings?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैं आप को पढ कर सुनाऊ उस दिन की कार्यवाही ?

अध्यक्ष महोदय आप मुझे यह बताइए कि उस के साथ कैसे जोडा आप ने ? मुझे भी क्लीयर होना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उद्धृत कर रहा हू

"यह भी एक तथ्य है कि श्री तुलमोहन राम के साथ श्री ललित नारायण मिश्र के बडे घनिष्ठ सबध है । श्री तुलमोहन राम ग्राम सरौनी जिला सहरसा के निवासी हैं । वह अपने ग्राम मे श्री ललित नारायण मिश्र के पिता पूज्य पडित रविनदन मिश्र के नाम पर एक स्कूल बनवा रहे है ।

श्री ललित नारायण मिश्र इस को इस का ज्ञान नही है ।"

यह गलतबयानी है या नही ?

अध्यक्ष महोदय मै आप से बात कर रहा हू । मुझे एक बात बता दीजिए कि इस का प्रिविलेज तो यह है कि मिनिस्टर ने कहा कि मैं ने कोई आर्डर पास नही किया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह भी है । आप जरा इन का बयान पढ लीजिए । आप जरा 10 तारीख का बयान पढ लीजिए मेरे आरोप का 9 तारीख का (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र उतना ही नही है । कई बातें उठाई गई है । आर्डर तो आप देख नही रहे है समझते नही है कि आर्डर क्या होता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जरा सुनिए इसको । 9 तारीख को मिश्र जी ने क्या कहा

"Much has been said about Shri Tulmohan Ram s presumed intimacy with me I would like to repeat again that the foregoing facts establish that I had not accepted repeated representations made by Shri Tulmohan Ram "

फिर उन्होने स्कल का हवाला दिया है और कहा है कि वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा वह ठीक नही है । मैंने हवाला दिया

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

था स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक का। उस बैठक मे यह चर्चा हुई कि विद्यालय का नाम किस के नाम पर रखा जाय? उस मे श्री तुलमोहन राम ने बैठक मे कहा और यह सी बी आई के पास है कि ललित नारायण मिश्र के पिता जी के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाय। ललित नारायण मिश्र धनी मानी व्यक्ति है। उन के पिता के नाम पर स्कूल का नाम रखने से आर्थिक समस्या करीब करीब हल हो जायेगी। यह वह नही मानत।

अध्यक्ष महोदय किसी तरह बताइए कि उन को इन्फार्म किया उस प्रोसिडिंग्स के बारे मे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी किया है। इसीलिए मै कह रहा हू कि श्री ललित नारायण मिश्र ने सी बी आई के सामने जो बयान दिया है उस की एक प्रति सभा पटल पर आ जाय या फैसला करो से पहले आप उसकी एक प्रति देख ले। क्या श्री तुलमोहन राम श्री ललित नारायण मिश्र से बिना पूछे यह बात बैठक मे कह सकते है कि स्कूल का नाम पिता के नाम पर रखा, आर्थिक समस्या हल हो जायेगी? आखिर सदन के दो सदस्यों के बयान है और याद रखिए तुलमोहन राम न उस कार्यवाही पर दस्तख्त किए है।

अध्यक्ष महोदय यह तुलमोहन राम की आर्थिक समस्या दुरुस्त होने के कारण झगड़ा हुआ होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी नही, आर्थिक समस्या किन की कृपा से दुरुस्त हुई?

ललित नारायण मिश्र की कृपा से। (व्यवधान) मेरा कहना यह है कि श्री ललित नारायण मिश्र ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, सदन के साथ धोखा धड़ी की। आप यह सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगर श्री ललित नारायण मिश्र निर्विकार है, निर्दोष है निर्लेप है तो प्रिविलेज कमेटी का निर्णय उन के पक्ष मे आ जायगा और अगर वह दोषमुक्त हो जायेगे तो हम को परम प्रसन्नता होगी। प्रिविलेज कमेटी मे कांग्रेस पार्टी का बहुमत है।

अब अध्यक्ष महोदय, आप सचाई का फैसला कैसे करेगे? इसलिये मै ने मोशन दिया है कि आप प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए।

अध्यक्ष महोदय देखेंगे किस स्टेज पर आना है।

I will see to the debate which took place yesterday and today

पहले की तो मै ने देख ली है।

अब इस को खत्म कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे मोशन के बारे मे आप की क्या राय है?

अध्यक्ष महोदय यह तो जो ओरिजिनल है मै तो उस का ही ले रहा हू। आज वाला तो नही ले रहा हू।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरा मोशन इस प्रकार है

अध्यक्ष महोदय नही, आज का मै ने नही माना। यह तो अभी पहला चल रहा है। इस बीच मे नया कैसे आ सकता है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहला यह चल रहा है कि श्री ललित नारायण मिश्र के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन को हमारी सूचना पर आप विचार करे।

अध्यक्ष महोदय वह पहले ही पड़ा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले से तो पड़ा है। मगर उस का लाजिकल कान्क्लूजन यह होगा कि प्रिविलेज कमेटी को मामला भेज दिया जाय। उस के लिए प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। मेरा प्रस्ताव तयार है।

MR. SPEAKER: I must see everything.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी फिर मैं आप एक से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप समय चाहते हैं तो इस मामले पर अपना निर्णय तब तक स्थगित रखिए जब तक हम लोग सी बी आई के सारे कागजात न देख लें।

अध्यक्ष महोदय अच्छा जी फिनिश कीजिए पेपर्स टु बी लेड आन दि टेबल .

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) अध्यक्ष महोदय, केवल इस के कि मैं अपने बयान पर जाऊं मेरे पिता जी का नाम उन्होंने लिया है, मैं उसी बात को साफ कर देना चाहता हूं। पहले दिन भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, 28 अगस्त को भी उन का नाम लिया था। जैसा कि मैं ने अपने पहले बयान में कहा है मेरे पिता जी का कई वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। मैं ने उस दिन कहा था कि मुझे ज्ञान नहीं है आई हैव ना नौलेज .. ..

एक माननीय सदस्य काहे के बारे में?

श्री एल० एन० मिश्र स्कूल के बारे में।

और आज भी मैं कहता हूं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि कहीं भी उन के नाम पर कोई स्कूल है या मेरी सम्मति से हैं। अगर कोई कहीं किसी कोने में खोले हो या दुनिया के किसी कोने में हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ज्यादा छानबीन कर के निकाल सकते हैं। मेरे ज्ञान से, मेरी सम्मति से, मेरी कसेंट से या नौलेज में किसी तरह से भी नहीं है। सरौनी ग्राम मेरे जिले में है। हम जानते हैं, तुलमोहन राम जी मेरे रनिंग मित्र रहे हैं एलेक्शन में जब कि रूरल कांस्टीट्यूएंसी हुआ करती थी, इसलिए साधारणतः मुझे जानना चाहिए था कि मेरे पिता जी के नाम से कहीं स्कूल खुला है। मैं कह रहा हूं कि नहीं खुला है और उस में मेरी कोई सम्मति नहीं है मेरी कोई नौलेज नहीं है।..... (व्यवधान)......

मैं वाजपेयी जी की बात को साफ कर देना चाहता था और मैं उन से एक प्रार्थना करूंगा कि वे भी किसी पिता के पुत्र हैं। पिता के लिए लोगों को श्रद्धा और भक्ति होती है। मेरे राजनैतिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं है मेरे पिता जी की प्रतिष्ठा के सामने। इसलिए मैं किसी का भी मिटा देने के लिए तैयार हूं लेकिन उन की प्रतिष्ठा पर आंच आने नहीं दूंगा। अगर उन को जानना है कि हम लोगों का समाज में क्या स्थान है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे मेहमान हो कर चलें इलाके में घूमें और देखें जा जा कर कि कितना हमारा परिवार बड़ा है और हम लोग क्या करते हैं?.... (व्यवधान). ...

इसलिए कृपा करके उन का नाम लेने से पहले अपने हृदय को टटोल लें कि सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं .. . (व्यवधान) ......

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . उन के पिता जी के खिलाफ हम ने कुछ नहीं कहा। हम उन का आदर करते हैं। लेकिन मैं मंत्री-महोदय के साथ इलाके में जाने के लिए तैयार हूं और उन्हें दिखाने के लिए तैयार हूं कि विद्यालय बन रहा है।. .... (व्यवधान). .. .

श्री एल० एन० मिश्र दूसरी बात उन्होंने प्रोसिडिंग की की .. (व्यवधान)....

वाजपेयी जी ने अपनी पुष्टि के लिए प्रोसिडिंग की प्रतिलिपि या कोई चीज हाउस में पढ़ी है। कहा कि पहले दिन का है मगर हम ने उस को देखा नहीं। तुलमोहन राम जी आज की हालत में दिल्ली में हों या जहां भी

[श्री एल॰ एन॰ मिश्र]

हो हम ने उन ने पूछा तक भी नहीं। प्रोसीडिंग्स क्या है मैं नही जानता। मेरे पास कोई चीज नही है। और कोई अगर प्रस्ताव करता है प्रस्ताव मजूर हुआ या नही, यह भी मै नही जानता। इसलिए मै ने कहा कि अगर यह बात है तो मुझको उस का ज्ञान नही है, उस में मेरी सम्मति नही है, मेरी कसेंट नही है और मै एक साफ बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात नही है।

Now, I will come to the debate that has taken place yesterday, and today.

Mr. Speaker, Sir, at the outset, I would like to take up Shri S. N. Mishra's observations made yesterday.

Shri S. N. Mishra has stated that he was misheard by the Parliamentary reporters on 5th December, 1974. I would, however, like to point out that his entire charge against me hinged on my note being of 23rd November, 1972 which date happens to be the date on which the forged memorandum was seen by me in the *dak*. Shri S. N. Mishraji in his speech first mentioned submission of the forged memorandum on 22nd November, 1972 and then proceeded to mention recording of my note as of 23rd November, 1972, and then went on to mention its despatch along with the forged memorandum to the C.C.I. on the 24th November, 1972.

Shri S. N. Mishraji cannot now explain away his wrong dating of my note as 23rd November, 1972 by saying that he was misreported.

I would like to mention here that this date becomes significant because Shri S. N. Mishraji appears to me to try to build up a case that Tulmohan Ramji saw me, gave me the memorandum and after that, I passed the order and that is how the whole story is being built up...

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: No, no.

SHRI L. N. MISHRA: That is why I am explaining the date. Otherwise, it has no significance. What he had stated was all right.

Apart from the reporters of the Parliament, who, Shri S. N. Mishra now says, misheard him, the Members of this august House as also gentlemen of the Press heard him and understood him mentioning 23rd November 1972 in that specific context. Shri S. N. Mishra's allegation was widely reported in the national press which termed Shri S. N. Mishra's observations as sensational and as having caused a stir.

SHRI PILOO MODY: This is petty.

SHRI L. N. MISHRA: I accept Shri S. N. Mishra's belated clarification. However, I would only say that with this correction, Shri S. N. Mishra's allegation regarding my complicity also falls to pieces.

SOME HON. MEMBERS: How?

SHRI L N. MISHRA: Mr. Speaker, Sir, would you kindly permit me to request Shri S. N. Mishra to make one more correction? When I enquired, Shri S. N. Mishraji said that 12|N, that is, Note 12|N is mentioned in the charge-sheet. This is not the position. It is not in the charge-sheet .... (*Interruptions*)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I have not said that. I will come tomorrow.

SHRI L. N. MISHRA: Shri Atal Bihari Vajpayeeji in a letter has desired me to clarify my note dated 23rd August, 1972 directing re-examination of the matter with speed and submission of the file to me by the 30th.

Sir, my note of 23rd August, as also the notings on pages 11 and 12, now popularly known as 11|N and 12|N of the file to which Shri Vajpayee has referred, relate, to my decision to contest the case in a Court of law and obtaining the opinion of the Ministry of Law...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: At the same time?

SHRI L. N. MISHRA: ...on the legal aspects including discrimination. My note of 23rd August, 1972 called for a speedy action only in the direction of contesting the case in a court of law and, not for speedy issue of the licences as alleged... (*Interruptions*)

SHRI MADHU LIMAYE: You got the cases withdrawn. Don't tell a lie. ...(*Interruptions*) I have proved it to the hilt. You got the cases withdrawn. ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, please.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): The order was given on the previous day ... (*Interruptions*) I have come to know. ... (*Interruptions*)

SHRI MADHU LIMAYE: There is evidence of that in the charge-sheet.

SHRI L. N. MISHRA: 23rd August is the date when this memorandum question was not brought. It was brought in November end, three months later. My notings have nothing to do with the memorandum and this is August and that is for contesting the case in the court of law. I will come to the High Court judgment also to which Shri S. N. Mishra has referred yesterday.

Sir, now I will take up the allegation made by Shri Madhu Limayeji and Shri S. N. Mishraji that the pending writ petitions were withdrawn from the court on a compromise basis.

Sir, as far as I remember, I issued no orders an gave no consent at any stage for settling the case on a compromise basis either within or outside the Court. (*Interruptions*) After this allegation was made yesterday I have tried to ascertain the position. My information is that no offer at any stage for the compromise was made by the Ministry of Foreign Trade in respect of these writ petitions I have ascertained and on that basis I am speaking. I take full responsibility for that.

Mr. Speaker, Sir, my complicity in the matter was again alleged. I deny this allegation with all the emphasis at my command. The charge-sheet mentions as to who entered into a criminal conspiracy during the period March, 1971 to July 1974 for committing certain offences. My conduct and actions during the pendency of the conspiracy has been totally opposed to the objectives set for by the alleged conspirators. Shri Tulmohan Ram had made at least two representations to me during the pendency of the conspiracy. These representations were rejected under my instructions.

I totally refute all allegations made regarding my complicity or any personal or special interest in the matter as alleged. Now I hope the relevant papers would be seen by some of my friends in the Opposition in response to Government's offer May I request them to have a little patience and not to take recourse to prejudiced surmises.

My colleague the Commerce Minister has already made a statement in this august House on 9.9.1974 explaining the circumstances in which the decision to issue these licences was taken long after I left the Ministry of Foreign Trade (*Interruptions*).

To sum up, Sir, the issue under discussion has been the breach of privilege of the House arising out of my statement in Lok Sabha on 28th

[Shri L. N. Mishra]

August, 1974. My statement was made specifically to refute two allegations and I had said (1) that the licences in question were not issued during my period in the Foreign Trade Ministry nor had I passed order to this effect and (2) that I had nothing to do with the forging of the Memorandum. I stand by that statement.

Both these points stand fully vindicated. I submit, Sir, I cannot therefore be responsible for misleding the House in any manner whatsoever.

I have always held this House in the highest esteem. Nothing can be remote from my mind than misleading the House on any issue. I repeat, Sir, that what I told the House on 28th August, 1974 in the form of personal explanation is factually correct and is in no way in conflict with the contents of the charge-sheet as allowed.

MR. SPEAKER: What is the position about the officers noting as if they are directions from the Minister.

SHRI L. N. MISHRA: So far as 11|N and 12|N are concerned I have mentioned that they have been done under my direction but to contest in the court of law and to obtain legal opinion. These two notes were written under my direction by the Special Assistant or perhaps some other officer—I do not remember his name—to contesting in the court of law. (*Interruptions*)

One thing, Sir, about the issue of licences, I have nothing to do as I left the Ministry.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 5 फरवरी का नोट किस समय लिखा गया—इस मे पूछ—लीजिये ? यह चार्जशीट भी आया है ।

SHRI L. N. MISHRA: So far as noting is concerned, I cannot run away from the responsibility. I have said 11|N and 12|N notes have been written by me. As regards 5th it has been specifically answered in my earlier statement. (*Interruptions*)

I want to be heard. There has been three to four days debate. Can't I get five minutes of this House? I am a Member of this House for the last 20 years. I have a right to be heard and I want justice from this House.

As stated, Sir, on 28th two things were said: No. (1) That I issued the licences; and (2) I forged the memorandum. I did not issue the licences and did not pass the order. Prof. Chattopadhyaya has accepted that he has issued the licences and not me. As regards forging the memorandum it is clear in the charge-sheet that Shri Tulmohan Ram and Yogendra Jha forged false signatures. Therefore, these two things are clear. I am not responsible.

About official noting, that is, 11/N and 12/N they are under my direction. (*Interruptions*)

If you want to know more about 5th, I will say I ceased to be a Minister. On the 5th morning I became Railway Minister. Therefore, whatever happens after I left the Ministry I cannot be held responsible.

MR. SPEAKER: We had enough of it—not once but twice. I am not allowing any point of order. No more statement.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी · अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 9 दिसम्बर, को इन्हो ने जो कुछ कहा 5 दिसम्बर के बारे में वह कुछ और कहा था और आज कुछ और कह रहे है । ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह रोज अपना बयान बदल रहे हैं, आधार परिवर्तन कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस के बाद अब कुछ नहीं ।

Whatever it be, it is closed.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA Kindly hear me Your office is involved (*Interruptions*)

MR. SPEAKER From Shri Shyamnandan Mishra Shri L N Mishra himself required a clarification

(*Interruptions*)

MR SPEAKER Order please The matter is now closed Not only once or twice but thrice points of order were raised and so I am sorry I have closed it

(*Interruptions*)

MR SPEAKER Order please All of you kindly sit down I have heard —not once but twice or thrice The matter is now closed Kindly listen to me You know what is the position Why do you get up?

So far chances were given—not once or twice but thrice There should be an end to it Now Shri Shyamnandan Mishra has conveyed to me No more points of order They were already allowed Now, Shri Mishra wants to ask something about the proceedings He can just confine himself about the proceedings He can ask questions about that But, no points of order please It is now closed

SHRI JYOTIRMOY BOSU Sir I rise on a matter of procedure

MR SPEAKER This is too much He wants to ask questions about the proceedings which the Secretary-General has conveyed He is only confining himself to the proceedings Let him ask questions about the tape.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA Sir, the hon Minister has said—he had repeated it—and he had earlier also mentioned in his statement about my reference to his note (*Interruptions*)

SHRI K P UNNIKRSHNAN (Badagara) If he is allowed, then I must also be permitted

MR SPEAKER I have allowed him to ask questions about the proceedings in the tape, the Secretary-General conveys that he wants to ask questions about that

SHRI C M STEPHEN (Muvathupuzha) Let him confine himself to the proceedings only

(*Interruptions*)

MR SPEAKER May I request you that we hear him so that he will conclude in two minutes Kindly do not interrupt him

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA Sir the hon Minister has put it in my mouth that I had said on an earlier date that the minutes which he had recorded on a relevant file related to 23rd November 1972 I had according to him mentioned the date 23 11-72 and not 23 8 72 That is the main point (*Interruptions*) Why don't you hear me coolly? Sir, I had submitted yesterday that this confusion might have occurred in the mind of the reporter

SHRI L N MISHRA What about Press?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA I am coming to that Because 23rd November happens to be the day on which hon Member Shri Tulmohan Ram was closetted with the hon Minister of Commerce (*Interruptions*)

SHRI C M STEPHEN Sir on a point of order We want to understand you correctly

MR SPEAKER I am not allowing any point of order I will just hear him No points of order. Let me

[Mr. Speaker]

make it clear. I am not going to allow any points of order. If Mr. Mishra wants to make any statement about the proceedings, that will be done. No points of order. I am not allowing.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I really do not know why these people take objection to this when it is mentioned in the charge-sheet, that on meeting the Minister on 23.11.72, he said that it had been despatched to CCIE—what it did say? To examine and put up the matter early. I was submitting that there might be a confusion in the minds of the reporter that 23rd was also the date to which I was referring, but that date happened to be in the month of August. So, there might be a slight confusion in the minds of the reporter, and according...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am not allowing any points of order. Please sit down.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, can they behave like schoolboys? Certaisly, we are in our own rights. I am being interrupted so many times You do not take objection to these people behaving like this?

MR. SPEAKER: I have not allowed them.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, then there had been a mixing of the para. But, even so, I submitted to you yesterday that I had heard the tapes and the tape does include a sentence which had been left out in the reporting, that this was on 23.8.72.

Now I would ask you to have the tape played here.

SHRI MADHU LIMAYE: Have you heard the tape?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Yes, I have.

SHRI MADHU LIMAYE: This is a very serious matter... (*Interruptions*).

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: You kindly ask your Additional Secretary. With his kindness, it was possible for me to hear the tape. The tape does include this sentence that this was on 23-8-72.

Secondly, I had also made a submission to you that twice in the same speech of mine the date 23-8-72 occurred. I had mentioned that the hon. Minister had recorded his note which was right in keeping with the note that was recorded on 5 February 1973. There was only a change of a word here and a word there. Otherwise, the two notes were almost identical

Let me say very clearly that your reporter also has not done me injustice to the extent, because even on that date he did mention 23-8-72 two times. And the hon. Minister should have read the entire speech of mine and then he would have come to a different conclusion. But if he did not persuade himself to do that, he should have heard me carefully yesterday when I said that the tape does include that sentence then and there.

MR. SPEAKER: You mentioned it very clearly.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I made a mention of it yesterday, and even then confusion is sought to be created.

SHRI L. N. MISHRA: No, No (*Interruptions*).

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: He has done a further misrepresentation (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: It is all closed now.

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं क्लेरीफिकेशन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

SHRI MADHU LIMAYE: Under what rule are you preventing me?

MR. SPEAKER: This is not a continuing process. This is the third or fourth time you are getting up. No points of order. I have heard enough.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर वे बार बार गलत कहेंगे तो हम खंडन नहीं करेंगे? क्या व्यवस्था का प्रश्न आप हमें उठाने नहीं देंगे ।

SHRI MADHU LIMAYE: Why no point of order? Under what rule are you preventing me?

MR SPEAKER: I gave enough chances to all. This is a never-ending debate.

कुछ माननीय सदस्य : प्वाइंट आफ आर्डर ।

MR. SPEAKER. No; no more points of order.

SHRI MADHU LIMAYE: You are violating the procedure. I am on a point of order.

SHRI PILOO MODY: There is nothing in the rules under which you can prevent it.

SHRI MADHU LIMAYE: You are violating the procedure.

MR. SPEAKER: This is only to waste the time of the House. I think the points of order are just obstructions. Once, twice, thrice, four times they are coming up. At this rate, this will make it endless debate. I am not going to allow it.

SHRI PILOO MODY: You can change the procedure. But there is nothing in the rules to support you.

MR. SPEAKER: I am not allowing any more points of order.

श्री मधु लिमये : सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलनी चाहिए । आप बार बार नियमों को तोड़ते हैं, नियमों को मखौल बनाया जा ———

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. SPEAKER: No more points of order. (*Interruptions*)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Is it proper for the Minister to refer to the press report and compare it with the record here when I made a clear statement yesterday that the tape does include it? The hon. Minister referred to the press having heard it. Is it proper for him to do so after I made a clear statement saying that the tape does include it? The main thing is whether he denies having recorded that minute on that date. What does he say about it? Let him say. Does he deny having recorded it on that day? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Shri Pranab Kumar Mukherjee.

12.58 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

PARTS X AND XI OF REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA FOR 1970-71—UNION GOVERNMENT (COMMERCIAL)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to lay on the Table a copy of the following parts (Hindi version) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India